मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक: 263/28/CC/38 भोपाल, दिनांक 21/03/2025

प्रति,

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य (सार्वजनिक) विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
3. सचिव, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल।

विषयः- सत्र 2025-26 में विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने विषयक।

संदर्भः- माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रचलित रिट याचिका क्रमांक 2758/2025 में माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 07/03/2025।

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 07/03/2025 को निम्नानुसार निर्देश दिए हैं-

> "Henceforth, we hereby make it clear that if any institution or university without any recognition of BCI is giving admission, it will specifically be mentioned that those got the admission in Law Course they will not be enrolled as an Advocate however that would be only for academic purpose."

2/- उक्त निर्देश के परिपालन में आगामी सत्र 2025-26 के लिए त्रिवर्षीय/पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं-

(i) जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सत्र 2025-26 के लिए बी.सी.आई. की वेबसाईट पर प्रदर्शित सूची के अनुसार मान्यता होगी, उनमें प्रवेश देने की अनुमति होगी।

(ii) जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सत्र 2025-26 के लिए बी.सी.आई. की वेबसाईट पर प्रदर्शित सूची अनुसार मान्यता नहीं प्राप्त है, परंतु उनके द्वारा सत्र 2025-26 के लिए शुल्क जमा करने का प्रमाण उपलब्ध कराया जाता है, तो

शपथ पत्र के आधार पर प्रावधिक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी एवं इसकी सूचना प्रवेश-पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

(iii) जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को सत्र 2025-26 के लिए बी.सी.आई. की वेबसाईट पर प्रदर्शित सूची अनुसार मान्यता नहीं प्राप्त है एवं उनके द्वारा सत्र 2025-26 के लिए शुल्क भी जमा नहीं किया गया है, उन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सत्र 2025-26 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(iv) जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के पास सत्र 2025-26 के लिए बी.सी.आई. द्वारा प्रदत्त मान्यता का पत्र हो परंतु, बी.सी.आई. की वेबसाईट पर उनका नाम प्रदर्शित नहीं हो अथवा जानकारी में विभेद हो, वहां प्रावधिक प्रवेश की अनुमति दी जाएगी एवं इसकी सूचना प्रवेश-पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

(v) उपरोक्त कंडिकाओ के तारतम्य में प्रवेश-पोर्टल पर यह प्रदर्शित किया जाएगा कि जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विधि पाठ्यक्रमों को बी.सी.आई. से मान्यता नहीं प्राप्त है, उनमे प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अपात्र हो सकते हैं, परन्तु अकादमिक उद्देश्यों के लिए वे प्रवेश ले सकते हैं।

(अनुपम राजन)
अपर मुख्य सचिव
म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर(म.प्र.)
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)

जबलपुर, दिनांक 25/3/2025

पृ0 क्रमांक / अका. / 2025 / 181
प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. सचिव, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
4. अधिष्ठाता विधि संकाय, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
5. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त विधि महाविद्यालयों के प्राचार्यगण को इस अनुरोध के साथ की उक्तानुसार जारी निर्देशों का अक्षरशः पालनार्थ।
6. परीक्षा नियंत्रक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
7. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव / अनुभाग अधिकारी (गोपनीय / परीक्षा विभाग) रा.दु.वि.वि., जबलपुर।
8. प्रभारी ऑनलाईन, रा.दु.वि.वि., जबलपुर अपने अधीनस्थ कार्यसहायकों को उक्त निर्देशों का पालन करने निर्देशित करें।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर को इस अनुरोध के साथ कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट में अपलोड करने का कष्ट करें।
10. कुलगुरू जी के सचिव / कुलसचिव जी के निज सहायक, रा.दु.वि.वि., जबलपुर।

कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर